

पत्रांक-8/वि० MDMC-43/09...../

**बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति**

प्रेषक:

प्रधान सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

सेवा में,

सभी जिला मध्याह्न भोजन योजना प्रभारी पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक

विषय: निरीक्षण की तिथि को विद्यालय में भौतिक उपस्थिति तथा पिछले सात दिनों में विद्यालयों में पंजीनुसार मध्याह्न भोजन योजना से लाभान्वित बच्चों के औसत में अन्तर पाये जाने पर कार्रवाई करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि प्रायः ऐसा पाया जाता है कि कतिपय विद्यालय में निरीक्षण के दिन भौतिक उपस्थिति तथा पिछले एक सप्ताह में मध्याह्न भोजन योजना से लाभान्वित छात्र/छात्राओं की औसत संख्या में अन्तर पाया जाता है। उक्त स्थिति गंभीर प्रकृति के हैं।

सभी पदाधिकारियों/निरीक्षकों से अनुरोध है कि निरीक्षण की तिथि को विद्यालय में बच्चों की भौतिक उपस्थिति तथा पिछले सात दिनों में पंजीनुसार मध्याह्न भोजन योजना से लाभान्वित बच्चों की संख्या के रुझान (Trend) तथा औसत उपस्थिति में यदि 10 प्रतिशत तक का अन्तर पाया जाता है तो संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक से उक्त अंतर के लिए स्पष्टीकरण पूछा जाए।

किन्तु यदि 10 प्रतिशत से अधिक का अन्तर पाया जाता है तो ऐसा माना जाएगा कि संबंधित प्रधानाध्यापक के द्वारा मध्याह्न भोजन योजना की राशि एवं खाद्यान्न का दुरुपयोग किया जा रहा है। अतः निरीक्षण की तिथि को भौतिक उपस्थिति तथा पिछले सात दिनों में पंजीनुसार मध्याह्न भोजन योजना से लाभान्वित बच्चों की औसत संख्या में प्रतिशत अन्तर के अनुसार खाद्यान्न एवं परिवर्तन मूल्य के तीन महीना के कार्य दिवसों के समतुल्य राशि की वसूली (Recovery) प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक से किया जाए। खाद्यान्न की राशि की गणना प्रासंगिक वर्ष में न्यूनतम समर्थन मूल्य (जो आपूर्ति विभाग द्वारा निर्धारित है) को आधार मानकर किया जाए। इसके अलावे यदि आवश्यकता हो तो विभागीय कार्रवाई/कानूनी कार्रवाई भी की जाए।

इसके अलावे जिन मामलों में प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक से राशि की वसूली की गई है, उस प्रखंड के प्रखंड साधन सेवी का कमजोर अनुश्रवण करने तथा कर्तव्य में लापरवाही बरतने के लिए उनके मानदेय से 10 से 20 प्रतिशत तक राशि की कटौती की जाए।

विश्वासभाजन

ह०/-

प्रधान सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक 2558...../ दिनांक 29.10.13

प्रतिलिपि : सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


प्रधान सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना